

राजस्थान विधान सभा
दशम् सत्र
कार्य-सूची
बुधवार, दिनांक 07 फरवरी, 2018
बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. शपथ अथवा प्रतिज्ञान

श्री विवेक धाकड़, उप चुनाव में नव-निर्वाचित सदस्य, भारत के संविधान के प्रति शपथ लेंगे अथवा प्रतिज्ञान करेंगे ।

2. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचनार्ये

श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री, वित्त एवं आबकारी विभाग की निम्नांकित अधिसूचनार्ये सदन की मेज पर रखेंगे :-

वित्त विभाग

1. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-158 दिनांक 23.1.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-159 दिनांक 23.1.2018 जिसके द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-1 के देरी से फाईल करने पर देय विलम्ब शुल्क में रियायत प्रदान की गई है;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-160 दिनांक 23.1.2018 जिसके द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-5 के देरी से फाईल करने पर देय विलम्ब शुल्क में रियायत प्रदान की गई है;
4. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-161 दिनांक 23.1.2018 जिसके द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-5-ए के देरी से फाईल करने पर देय विलम्ब शुल्क में रियायत प्रदान की गई है;
5. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-162 दिनांक 23.1.2018 जिसके द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-6 के देरी से फाईल करने पर देय विलम्ब शुल्क में रियायत प्रदान की गई है;
6. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-163 दिनांक 23.1.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-32 दिनांक 22.6.2017 को अतिष्ठित करते हुए ई-वे बिल वेबसाईट www.gst.gov.in को अधिसूचित किया गया है;

जारी..2..

7. अधिसूचना संख्या: एफ.2(88)वित्त/कर/2010-164 दिनांक 24.1.2018 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के पक्ष में जारी किये जाने वाले शेयर सर्टिफिकेट पर देय स्टाम्प ड्यूटी पर छूट प्रदान की गई है;
8. अधिसूचना संख्या: एफ.2(31)वित्त/कर/2017-165 दिनांक 24.1.2018 जिसके द्वारा राष्ट्रीय हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निष्पादित रियायती करार पर देय स्टाम्प ड्यूटी पर छूट प्रदान की गई है;
9. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-166 दिनांक 25.1.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर /2017पार्ट-I-49 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
10. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-167 दिनांक 25.1.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर /2017--पार्ट-I-50 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
11. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-168 दिनांक 25.1.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-51 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
12. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-169 दिनांक 25.1.2018 जिसके द्वारा सेवाओं की आपूर्ति के लिये पंजीकृत व्यवहारी हेतु कर के भुगतान के संबंध में विशिष्ट प्रणाली अधिसूचित की गई है;
13. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-170 दिनांक 25.1.2018 जिसके द्वारा राज्य कर से पेट्रोलियम प्रोफिट केन्द्रीय सरकार के अंश से सशर्त छूट प्रदान की गई है;
14. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-171 दिनांक 25.1.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-40 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
15. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-172 दिनांक 25.1.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-41 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
16. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-173 दिनांक 25.1.2018 जिसके द्वारा निश्चित वस्तुओं की अन्तः राज्य आपूर्ति पर राज्य कर से सशर्त छूट प्रदान की गई है;
17. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-174 दिनांक 25.1.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-136 दिनांक 14.11.2017 में संशोधन किया गया है;

18. अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012/पार्ट-175 दिनांक 30.1.2018 जिसके द्वारा स्थानीय निकायों द्वारा आवंटित या बेची गई भूमि के संबंध में जारी किये गये पट्टों पर देय स्टाम्प शुल्क पर छूट प्रदान की गई है; एवं
19. अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012/पार्ट-176 दिनांक 30.1.2018 जिसके द्वारा स्थानीय निकायों द्वारा भूमि के नियमितीकरण हेतु जारी किये गये पट्टों पर देय स्टाम्प शुल्क पर छूट प्रदान की गई है ।

आबकारी विभाग

- 1- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)वित्त/आब/2017पार्ट-1 दिनांक 17.11.2017 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम-68 के अन्तर्गत वाईन के निर्माण की लाइसेंस फीस में संशोधन किया गया है;
- 2- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)वित्त/आब/2017पार्ट-1 दिनांक 17.11.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.4(62)वित्त/आब/96 दिनांक 31.3.97 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
- 3- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)वित्त/आब/2016/पार्ट-1 दिनांक 18.1.2018 जिसके द्वारा राजस्थान एक्सार्ज (ग्रांट ऑफ होटल बार/क्लब बार लाइसेन्सेज) रूल्स, 1973 में संशोधन किया गया है;
- 4- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)वित्त/आब/2017पार्ट-1 दिनांक 18.1.2018 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है; एवं
- 5- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)वित्त/आब/2017पार्ट-1 दिनांक 18.1.2018 जिसके द्वारा मासिक पूर्ति से अधिक उठाव पर दिये जाने वाले आबकारी शुल्क में सशर्त छूट प्रदान की गई है ।

(ख) वार्षिक प्रतिवेदन

- 1- श्री राजेन्द्र राठौड़, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1) के अन्तर्गत राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड का 7वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 सदन की मेज पर रखेंगे ।
- 2- श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे :-
 - (I) राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का पाँचवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017; एवं
 - (II) सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 52वाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017.

- 3- श्री प्रभुलाल सैनी, कृषि मंत्री, निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे:-
- I- दी वेयर हाऊसिंग कॉरपोरेशन एक्ट, 1962 की धारा 31(2) के अंतर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 59वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017; एवं
 - II- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-394 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का 39वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017.
- 4- श्री श्रीचन्द कृपलानी, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का 8वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 सदन की मेज पर रखेंगे ।
- 5- श्री अजय सिंह, सहकारिता मंत्री, राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा-54(14) के अन्तर्गत राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर का 26वां वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 सदन की मेज पर रखेंगे ।

4. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रत्तर वाद-विवाद

श्री अभिषेक मटोरिया (वि.सं.-7), सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव पर अग्रत्तर वाद-विवाद होगा :-

"इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं ।"

पृथ्वी राज
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 06 फरवरी, 2018